न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2 बयाना, कैम्प रूपबास, जिला भरतपुर(राज०)	
पीठासीन अधिकारी - प्रशांत शर्मा आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग) निर्णय दिनांक - 09.03.2026 सेशन केस संख्या - 32/2020 सी०आई०एस नंबर - 50/20 प्र०सू०रिपोर्ट सं. व पुलिस थाना - 152/2020, पुलिस थाना रूपबास	
परिवादी-प्रार्थी	राजस्थान राज्य

प्रस्तुतकर्ता	**श्री ओमप्रकाश तिवाडी, विद्वान अपर लोक अभियोजक** वास्ते-राजस्थान राज्य
अभियुक्त का विवरण	**1. थानेश्वर** पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 22 वर्ष, निवासी-मालौनी कला थाना रूपबास, जिला भरतपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	1. **श्री अमृतलाल** विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त
अधिवक्ता परिवादी-पीडित पक्ष	-

अपराध घटित होने की दिनांक	12.03.2020
प्र०सू०रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	17.03.2020
आरोप पत्र पेश होने की दिनांक	17.08.2020
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	11.03.2022
साक्ष्य हेतु नियत किये जाने की दिनांक	27.05.2022
बहस अंतिम सुनी जाने की दिनांक	21.01.2026
निर्णय पारित किये जाने की दिनांक	09.03.2026
दंडादेश हेतु नियत दिनांक, यदि कोई हो	----------

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अधिरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के लिये
01.	थानेश्वर	20.05.2020	20.10.20	धारा 366, 376 आईपीसी	दोषमुक्त	नियमानुसार	

-:: निर्णय::- दिनांक: 09.03.2026

01. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियोक्त्री/पीडिता को उसके नाम से

सम्बोधित नहीं कर अभियोक्त्री/पीडिता के रूप में लिखा जायेगा।

02. अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 17.03.2020 को पीडिता के भाई पी०ड० 02 ने पुलिस थाना रूपबास में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई, कि वह अपनी बहिन को लेकर रूपवास आया था । बंगाली डॉक्टर ने उसकी बहिन के पेट दर्द की दवाई लिखी, तो वहां प्रियंका, थानेश्वर एकराय मशविरा करके आये । प्रियंका ने उससे कहा कि तुम अपनी बहिन के लिए बाजार से दवाईयां ले आओ । वह दवाई लेने बाजार चला गया । पीछे से उसकी बहिन को प्रियंका व थानेश्वर अगवा करके ले गये और रोजाना थानेश्वर मोबाइल नंबर 7023061542 से उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कि "तेरी बहिन मेरे कब्जे में है, तुझसे जो बने, सो कर लेना । अगर तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो तुझे व तेरे परिवार वालों का जान से खत्म कर दूंगा ।" उन्हें अब तक मुलजिमान के माता-पिता ने आश्वासन दे रखा था, कि बहिन को वह वापिस बुला लेंगे, लेकिन आज तक उसकी बहिन को उनके हवाले नहीं किया ।.....इत्यादि उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना रूपबास में मु०नं० 152/2020 अपराध धारा 363, 376 भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना रूपबास द्वारा अभियुक्त थानेश्वर के विरुद्ध धारा 366, 376 भादंसं में दिनांक 17.08.2020 को अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपबास के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जहाँ से प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर कमिट किया गया, जो इस न्यायालय को दिनांक 23.11.2020 को कमिट होकर प्राप्त हुआ।

03. बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 11.03.2022 को अभियुक्त थानेश्वर को धारा 366, 376 भादंसं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान परीक्षित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**किस तथ्य से संबंधित साक्ष्य**
01.	पी०ड० 01 पीडिता का पिता	फर्द सुपुर्दगी पीडिता प्रदर्श पी01, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी02, बयानों की रिकॉर्डिंग की सी०डी० प्रदर्श पी03 से संबंधित
02	पी०ड० 02 पीडिता का भाई	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी04, चाक एफआईआर प्रदर्श पी05

		से संबंधित
03.	पी०ड० 03 पीडिता का चाचा	फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी06, फर्द दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी07, नोटिस पीडिता प्रदर्श पी08 से संबंधित
04.	पी०ड० 04 गजेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती दो सील्डशुदा लिफाफे प्रदर्श पी09, फर्द जब्ती दो सील्डशुदा लिफाफे प्रदर्श पी10 से संबंधित
05.	पी०ड० 05 पीडिता की माता	घटना की ताईद से संबंधित
06.	पी०ड० 06 नर्वदा	फर्द जब्ती एक चड्डी प्रदर्श पी11, फर्द जब्ती एक चड्डी प्रदर्श पी12 से संबंधित
07.	पी०ड० 07 डॉ० संजय यादव	मुलजिम की मेडिकल रिपोर्ट व एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी13 व 14, पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट व एफएलएल रिपोर्ट प्रदर्श पी15 व पी 16 से संबंधित
08.	पी०ड० 08 नरेन्द्र सिंह	हालात अनुसंधान से संबंधित
09.	पी०ड० 09 राजेश कुमार	एफएसएल जमा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी23 से संबंधित
10.	पी०ड० 10 पवन सिंह	नक्शा मौका प्रदर्श पी06, फर्द दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी07, फर्द जब्ती चार सीलशुदा लिफाफे प्रदर्श पी09 व पी10, फर्द जब्ती दो चड्डी प्रदर्श पी11 व प्रदर्श पी12 से संबंधित
11.	पी०ड० 11 राजवीर सिंह	जमा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी16 व मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रति प्रदर्श पी16 ए से संबंधित
12.	पी०ड० 12 पीडिता	अभियोजन कथानक की ताईद, नक्शा मौका प्रदर्श पी06, फर्द दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी07, नोटिस प्रदर्श पी08, फर्द जब्ती चड्डी प्रदर्श पी11, मेडिकल प्रदर्श पी15, बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी17, नोटिस प्रदर्श पी18, मेडिकल नहीं कराने बाबत प्रार्थना पत्र पी19 से संबंधित

05. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी1	फर्द अस्थायी सुपुर्दगी पीडिता
02.	प्रदर्श पी2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
03.	प्रदर्श पी3	फर्द जब्ती सी०डी० बयान पीडिता
04.	प्रदर्श पी4	तहरीरी रिपोर्ट
05.	प्रदर्श पी5	चाक एफआईआर
06.	प्रदर्श पी6	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल
07.	प्रदर्श पी7	फर्द दस्तयाबी पीडिता
08.	प्रदर्श पी8	नोटिस अंतर्गत धारा 91/160 सीआरपीसी
09.	प्रदर्श पी9	फर्द जब्ती दो सीलशुदा लिफाफे पीडिता
10.	प्रदर्श पी10	फर्द जब्ती दो सीलशुदा लिफाफे

11.	प्रदर्श पी11	फर्द जब्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली पीडिता
12.	प्रदर्श पी12	फर्द जब्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली मुलजिम
13.	प्रदर्श पी13	मुलजिम की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट
14.	प्रदर्श पी14	मुलजिम की एफएसएल रिपोर्ट
15.	प्रदर्श पी15	पीडिता की मेडिकल मुआयना रिपोर्ट
16.	प्रदर्श पी16	पीडिता की एफएसएल रिपोर्ट
17.	प्रदर्श पी16 (सहवन से पुनः अंकित)	एक सी०डी० वीडियो रिकॉर्डिंग बयान पीडिता
18.	प्रदर्श पी17	बयान पीडिता अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी
19.	प्रदर्श पी18	पीडिता को दिया गया नोटिस अंतर्गत धारा 91/60 सीआरपीसी
20.	प्रदर्श पी19	पीडिता का अपनी चोटों बाबत् मेडिकल नहीं करवाये जाने बाबत् तहरीर
21.	प्रदर्श पी20	नकल मालखाना रजिस्टर
22.	प्रदर्श पी21	प्रमाणित प्रति नकल रोजनामचा रपट
23.	प्रदर्श पी22	मजमून रिपोर्ट
24.	प्रदर्श पी23	एफएसएल जमा रसीद
25.	प्रदर्श पी24	पीडिता की आठवीं की अंकतालिका
26.	प्रदर्श पी25	पूछताछ नोट मुलजिम थानेश्वर

06. प्रकरण में अभियोजन की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

07. प्रकरण में न्यायालय की ओर से निम्न दस्तावेज बतौर न्यायालय प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	न्यायालय प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
01.	-	-

08. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये गवाहान की साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताया है व प्रलेखीय साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं करवाई गई ।

क्र०सं०	बचाव साक्षी का नाम	किस तथ्य से संबंधित है
01.	-	-

09. बचाव पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में प्रलेखीय एवं भौतिक

साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

क्र०सं०	दस्तावेज	दस्तावेजों का विवरण
01.	प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श डी 12	रंगीन फोटोग्राफ्स

10. बचाव पक्ष की की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

11. बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

12. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा कि उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है ।

13. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि पीडिता घटना के समय पूर्ण व्यस्क रही थी, जो उसकी मर्जी से अभियुक्त के साथ गई थी । परिवादी पक्ष ने झूठा घटनाक्रम रचा है, जबकि अभियुक्त ने पीडिता के साथ कभी कोई जोर-जबरदस्ती अथवा मारपीट नहीं की । अभियुक्त द्वारा पीडिता को किसी भी स्थान पर बहला-फुसलाकर अथवा जोर-जबरदस्ती नहीं ले जाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य अविश्वसनीय रही है । स्वयं पीडिता व अन्य महत्पूर्ण गवाहान के सशपथ कथन भी महत्वपूर्ण विरोधाभास लिये हुये है, जो सर्वथा असत्य कथन है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों की रोशनी में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

14. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

15. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है:-

> 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.03.2020 को किसी समय मौजा रूपबास में जब फरियादी अपनी बहिन को बंगाली डॉक्टर से दिखाकर दवाई लेने बाजार गया, तब अभियुक्त ने फरियादी की बहिन, जो उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में थी, को उसकी सहमति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाकर, उसे विवाह के लिये विवश, भ्रष्ट कर व्यपहत, अपहत कर, उसकी ईच्छा व

सहमति के विरूद्ध जबरन अयुक्त संभोग कर बलात्संग किया ?

2. यदि हॉ, तो दण्डादेश ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या एक</u>

16. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का विवेचन करें, तो पीडिता के पिता पी०ड० 01 ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि लगभग दो साल पहले दिन में 12 बजे उसकी लडकी के पेट में दर्द हो रहा था, जिसे उसने अपने बेटे से रूपबास डाक्टर बंगाली के पास दिखा कर लाने को कहा । बंगाली डाक्टर ने उसकी बेटी को देखने के बाद दवाईयां लिख दी । उसका बेटा इस दौरान दवाई लेने चला गया और उसकी बेटी डाक्टर बंगाली के पास अकेली थी, तब वहाँ थानेश्वर और उसकी बहिन प्रियंका आए और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए । उन्होंने उसकी बेटी को काफी ढूँढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं नहीं मिली । उसके पुत्र ने उसे फोन पर सारी बात बताई । दूसरे दिन थानेश्वर ने उसे फोन किया और कहा, कि तेरी लडकी उसके कब्जे में है, तुझ पर जो हो, कर लेना। वह उसके घर गया और उसके माँ-बाप से विनती की, जिस पर उन्होने उसे आश्वासन दिया, कि तेरी लडकी आ जाएगी, लेकिन लडकी नहीं आई, तब उसके पुत्र ने पाँच-छह दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी । पुलिस ने उसकी बेटी को जरिए फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 1 सुपुर्द किया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने जरिए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 2 थानेश्वर को गिरफ्तार किया । पुलिस ने बयानो की रिकार्डिंग की सी.डी. बनाई, जो फर्द प्रदर्श पी 3 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि उसकी बेटी की घटना के समय उम्र 21 वर्ष थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि थानेश्वर की बहिन प्रियंका से उसकी बेटी की पढने तक की दोस्ती थी, जो कभी-कभी उसकी बेटी के पास घर आती थी। उसकी बेटी अपने पास मोबाइल नहीं रखती थी, वह उसके मोबाइल को यूज करती थी। उसकी बेटी के पेट में दो दिन से दर्द हो रहा था, फिर कहा कि सुबह 6 बजे से हुआ था। उसका बेटा उसे करीब 10-11 बजे दिखाने ले गया था, जो करीब 12 बजे रूपबास पहुंचा था । उसके गाँव की दूरी रूपबास से करीब 6-7 किमी है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसका बेटा जिस डाक्टर के पास उसे दिखाने ले गया, वह उसका पहले से परिचित हो। उसकी

जानकारी में रूपबास में दो बंगाली डाक्टर है। एक बंगाली डाक्टर की दुकान फाटक से पहले तथा दूसरे बंगाली डाक्टर की दुकान फाटक से आगे भरतपुर रोड पर पडती है। उसकी बेटी को दिखाने उसका पुत्र फाटक वाले बंगाली डाक्टर के पास लेकर गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उस बंगाली डाक्टर के बगल में मेडिकल की दुकान है, जिसका नाम वह नहीं जानता। इस सुझाव को स्वीकार किया है कि एक मेडिकल का नाम बंसल मेडिकल व दूसरे का कश्यप मेडिकल है। उसके बेटे ने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया, कि बंगाली डाक्टर ने जो दवा लिखी, वह इन मेडिकल पर नहीं मिली व बाजार से लानी पडी थी। उसे नहीं पता, कि प्रिंयका बंगाली डाक्टर की दुकान पर कितने बजे आई थी व उसे उसके बेटे ने नहीं बताया और वह वहां मौजूद नहीं था। उसके बेटे ने उसे उसकी बेटी के गायब होने व इंतजार करने के दो-तीन घण्टे बाद फोन किया था, कि पीडिता गायब हो गई है। उसके बेटे ने जिस फोन नम्बर से फोन किया, वह उसे याद नहीं है। पीडिता को उन्होंने आगरा, सरैंधी, रूपबास, धौलपुर में ढूँढा था। वे पीडिता को ढूँढने किस तारीख को कहाँ-कहाँ व घटना के कितने दिन बाद गए थे, उसे याद नहीं है, फिर कहा घटना के दो दिन बाद गए थे। थानेश्वर ने उसे 13 तारीख को फोन किया था, कि पीडिता उसके पास है। जिस नम्बर से थानेश्वर ने मुझे फोन किया, वह नम्बर उसे याद नहीं है। थानेश्वर ने फोन करके उसे बताया, कि पीडिता उसके कब्जे में है और तुम पर हो, जो कर लेना। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने थानेश्वर का फोन आने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि वह उसके घर 14 तारीख को गया था। उसने थानेश्वर के पिताजी के पैर पकडकर कहा, कि उसकी लडकी को वापिस मँगा दो। उस समय थानेश्वर की बहिन प्रियंका वहाँ थी, जिन्होंने उसे आश्वासन दिया, कि चार-पाँच दिन में मंगा देंगे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उक्त पाँच दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई हो, बल्कि पहले पंचायत जोडी थी, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे ध्यान नहीं है, कि पंचायत किस तारीख को जोडी । पंचायत जुडने के दूसरे दिन सुबह नौ-दस बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके पुलिस में बयान कितनी तारीख को हुये, ध्यान नहीं है। उसके बयान पुलिस ने थाने पर लिए थे, जो कितने बजे लिए, समय याद नहीं है। उसने पुलिस को बयान देते समय पंचायत वाली सारी बातें बता दी थी। पुलिस ने लिखी या नहीं, उसे पता नहीं। वह पुलिस के साथ पूना नहीं गया। पीडिता को

पुलिस ने पूना से बरामद किया था, किस तारीख को किया, उसे ध्यान नहीं है। पीडिता को पूना से रूपबास की पुलिस लेकर आई थी। रूपबास थाने पर पुलिस कितनी तारीख को लेकर आई थी, उसे ध्यान नहीं है। पुलिस ने उन्हें पीडिता कितनी तारीख को सुपुर्द की, उसे ध्यान नहीं है। पुलिस द्वारा उन्हें पीडिता को सुपुर्द किये जाने के करीब 15 दिन बाद पीडिता के कोर्ट में बयान हुए थे। इस दौरान पीडिता घर पर उनके साथ ही रही थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि इस दौरान वे पीडिता को यह समझाते हो, कि थानेश्वर को दण्डित करवाना है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता के साथ जो वारदात हुई, उससे पहले पीडिता शादीशुदा थी, लेकिन ससुराल नहीं गई थी। उन्होंने पीडिता की शादी बचपन में ही कर दी थी। पीडिता की शादी गाँव अटूस पनवारी में की थी, उस लडके का नाम ध्यान नहीं है, उससे पीडिता का तलाक हो गया। पीडिता का तलाक उस लडके से इसलिए हुआ, क्योंकि वह लडका खराब था तथा शराब पीता था। वह लडका पीडिता को लिवाने नहीं आया था। पीडिता का उस लडके के साथ तलाक खेरागढ तहसील, जिला आगरा में स्टाम्प पर हुआ था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वे पीडिता की दूसरी शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हो। पीडिता की दो वर्ष पूर्व शादी हो गई है, जो नीमराना, अलवर में हुई है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता अपनी मर्जी से अपनी शादी करना चाहती हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता का थानेश्वर से प्रेम संबंध हो, बल्कि वह उसे जानती ही नहीं थी। थानेश्वर ने उसका नम्बर ले लिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि थानेश्वर उसके मोबाईल पर पीडिता से बात करता था। थानेश्वर उसकी बेटी से घटना से करीब एक वर्ष पहले से बात कर रहा हो, तो उसे इस बात की जानकारी नहीं। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे उसकी बेटी/पीडिता का थानेश्वर से बात करना कतई अच्छा नहीं लगता था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि थानेश्वर को फंसाने के लिए उन्होंने यह मुकदमा झूठा दर्ज कराया हो।

17. पीडिता के भाई/रिपोर्टकर्ता पी०ड०02 ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि दिनांक 12.03.2020 को दोपहर में उसकी बहिन के पेट में दर्द था, जिसे वह बंगाली डॉक्टर के पास दिखाने आया था। डॉक्टर ने उसकी बहिन को दवा लिख दी थी, तभी वहाँ प्रियंका और उसका भाई थानेश्वर आ गए थे। प्रियंका ने उससे बोला, कि तू दवाई ले आ,

जिस पर वह मेडिकल पर दवाई लेने चला गया । वह वापिस आया, तो उसे वहाँ तीनों ही नहीं मिले। प्रियंका व थानेश्वर उसकी बहिन का अपहरण कर ले गए। दूसरे दिन उसे थानेश्वर ने फोन किया, कि पीडिता उसके पास है, अगर एफआईआर कराई, तो वह उसे व उसके घरवालों को मार देगा। थानेश्वर ने उसके पापा के पास भी फोन किया था और उन्हें भी मारने की धमकी दी। उन्होंने थानेश्वर के घरवालों को बताया, जिस पर पंचायत भी हुई थी। पंचायत में थानेश्वर के घरवालों ने बोला, कि वे पीडिता को बुलवा देंगे । इसी तरह समय गुजारी करते रहे, लेकिन उसकी बहिन को नहीं बुलवाया। उसने घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। थानेश्वर द्वारा अपहरण कर उसकी बहिन का बलात्कार किया गया था। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि उसकी बहिन के पेट में दो-तीन दिन से दर्द हो रहा था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता काफी समय से बीमार चल रही हो। पीडिता सिर्फ दो-तीन दिन से ही बीमार थी। पीडिता के जब तेज दर्द हुआ, तब वह उसको दिखाने ले गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इससे पहले पीडिता को उन्होंने कहीं नहीं दिखाया था। पीडिता के पेट में दर्द उस दिन सुबह नौ-दस बजे के करीब हुआ था, तब वह उसे दिखाने करीब ग्यारह-साढे ग्यारह बजे मोटरसाइकिल से लेकर रूपबास आया था। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि रूपबास में कितने बंगाली डाक्टर है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस बंगाली डाक्टर ने पीडिता को देखा था, उसके पास दो मेडिकल की दुकानें है। इन दो मेडिकल की दुकानों से उसने दवाई नहीं ली थी । वह भरतपुर रोड पर पिण्टू मेडिकल पर दवाई लेने गया था, जिससे उसने कितने रूपये की दवाई खरीदी थी, उसे याद नहीं है। पिण्टू मेडिकल की दुकान बंगाली डाक्टर से सौ-दो सौ मीटर की दूरी पर है। वह दवाई लेकर दो-तीन मिनट में ही बंगाली डाक्टर की दुकान पर आ गया, फिर कहा कि दस-बीस मिनट में आ गया था। बंगाली डॉक्टर की दुकान पर प्रियंका व थानेश्वर थे। उसे ध्यान नहीं है, कि थानेश्वर व प्रियंका ने कैसे कपडे पहन रखे थे। प्रियंका व थानेश्वर ने डॉक्टर से दवाई नहीं ली। उससे प्रियंका ने बोला था, कि तू दवाई ले आ तथा इसे उनके पास छोड जा। वह दवाई लेकर आया, तब वहां प्रियंका, थानेश्वर व

पीडिता नहीं मिले, तो उसने बंगाली डाक्टर से कुछ नहीं पूछा। पीडिता को उसने पूरे रूपबास में ढूँढा था, जब पीडिता नहीं मिली, तब उसने अपने चाचा राधारमण को करीब तीन-चार बजे रूपबास से ही फोन किया था । वह अपने घर पर शाम को सात बजे पहुँचा था। उसके बाद भी वह पीडिता को ढूँढता रहा। इसके बाद सभी घरवालों ने पीडिता को रूपबास में देर रात तक ढूंढा था। दूसरे दिन 13 तारीख को उसे थानेश्वर ने सुबह नौ बजे फोन किया, तब पता चला कि पीडिता थानेश्वर के पास है, जो किस नंबर से किया, उसे याद नहीं है । थानेश्वर ने पीडिता की उससे बात नहीं कराई। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके बाद उसने थानेश्वर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी हो, बल्कि तीन दिन बाद 17 तारीख को कराई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उन्होंने यह रिपोर्ट पूरे घर वालों तथा गाँव वालों से सलाह मशविरा करके दर्ज कराई थी। उसे नहीं पता है, कि पीडिता गायब होने के बाद कहाँ थी । घटना के बाद पीडिता उसे थाने पर मिली थी। उसे ध्यान नहीं है, कि पीडिता ने उस समय कैसे कपडे पहन रखे थे । उसे नहीं पता कि उस समय पीडिता ने नए कपडे पहने थे या पुराने पहने हुए थे। इस घटना से पहले पीडिता की शादी अटूस पनवारी में विजय के साथ हुई थी। उसे ध्यान नहीं है, कि इस घटना से कितने साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी बचपन में हुई, उसकी गाँठ जुडी थी, उसे ससुराल नहीं भेजा था। शादी के बाद पीडिता कभी ससुराल नहीं गई थी, क्योंकि विजय शराब पीता था तथा उसे पीडिता पसन्द नहीं करती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस घटना से पहले उन्होंने पीडिता का स्टाम्प पर तलाक कराया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस तलाक के बाद से घटना तक उन्होंने पीडिता की दूसरी जगह शादी नहीं की थी, क्योंकि उसकी उम्र कम थी तथा लडका देख रहे थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसके घरवाले पीडिता की शादी अपनी पसन्द के लडके के साथ करना चाहते थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता अपनी पसन्द के लडके साथ शादी करना चाहती हो, बल्कि वह उनके बताए लडके से शादी करना चाहती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता घटना के समय बालिग थी तथा उसकी उम्र 21 वर्ष थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता को थानेश्वर के साथ जाते हुए किसी ने नहीं देखा। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता के साथ इस घटना से पहले भी कोई घटना हुई हो तथा

उसकी रिपोर्ट नहीं कराई हो, क्योंकि तब उन्होंने पैसे लेकर राजीनामा कर लिया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वे पीडिता को थाने से घर लेकर गए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उन्होंने पीडिता को घर पर समझाया हो तथा पीडिता ने उनके कहेअनुसार बयान दिए हों, बल्कि उसने अपनी मर्जी से बयान दिए थे। उसे नहीं पता है, कि पीडिता के बयान कोर्ट में किस तारीख को हुए । पीडिता की पिंकी से कोई खास दोस्ती नहीं थी, वह क्लास में ही एक साल से पीडिता की फ्रेण्ड थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी बहिन पिंकी के घर जाती हो, बल्कि पिंकी ही उनके घर आती थी। पुलिस में उसके बयान दिनांक 17.03.2020 को हुए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता थानेश्वर से प्यार करती हो, इसलिए वह थानेश्वर के साथ गई हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि थानेश्वर से उनकी पैसे बाबत बात चल रही हो तथा उसके पैसे नहीं देने के कारण मुकदमा कराया हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता अपनी पसन्द के लड़के से शादी करना चाहती हो तथा घरवाले अपनी पसन्द के लडके से शादी करवाना चाहते हो, जिस वजह से यह झूठा मुकदमा थानेश्वर के खिलाफ कराया हो। घटना के करीब दो-तीन माह बाद उन्होंने पीडिता की दूसरी शादी एक कम्पाउण्डर पेशा लडके के साथ भरतपुर में की है।

18. पीडिता के चाचा पी०ड०03 ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि दिनांक 12.03.2020 को दोपहर उसका भतीजा अपनी बहिन के पेट में दर्द होने के कारण उसे दिखाने बंगाली डॉक्टर के पास रूपबास गया था। वह डॉक्टर की लिखी दवा लेने चला गया । पिंकी तथा थानेश्वर इनको रूपबास में मिले थे, जो वहीं पर थे । भतीजा दवाई लेकर वापिस आया, तो तीनों वहाँ से गायब मिले, जो काफी ढूँढने के बाद भी नहीं मिले। दूसरे दिन भतीजे के पास थानेश्वर का फोन आया, कि पीडिता उसके पास है, जो पीडिता को नहीं जाने देगा। उन्होंने थानेश्वर से काफी मिन्नतें की तथा उसके घर भी गए । थानेश्वर की बहिन प्रियंका से भी कहा, लेकिन वह झाँसा देती रही, कि दो दिन का समय दो, वह पीडिता को ले आएँगे । उन्होंने पंचायत भी की। पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ, फिर उन्होंने एफआईआर करवा दी। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 बनाया, फर्द दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी 7 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता को आईओ ने नोटिस दिया, जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी

उसके हस्ताक्षर है। भतीजे ने एफआईआर कराई थी। पीडिता का अपरहण कर थानेश्वर ले गया था, उसको मारा-पीटा था तथा बलात्कार किया था। बचाव की पक्ष जिरह में कथन किया है, कि पीडिता के पेट में दर्द दो-तीन दिन से हो रहा था। पीडिता को दिखाने उसका भतीजा 12 मार्च को सुबह नौ-दस बजे के करीब ले गया था। वह मौके पर नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता कि उसका भतीजा पीडिता को लेकर रूपबास कितने बजे पहुंचा। रूपबास में दो बंगाली डॉक्टर है, एक भरतपुर रोड पर तथा दूसरा जगनेर रोड पर है। उसका भतीजा पीडिता को लेकर जगनेर रोड वाले बंगाली डाक्टर के पास गया था । उसने जगनेर रोड वाला बंगाली डाक्टर व आस-पास की दुकानें देखी है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि बंगाली डाक्टर के पास दो मेडिकल की दुकाने है। उसका भतीजा इन दोनों दुकानों से दवाई लेने नहीं गया, बल्कि सब्जी मण्डी में पिंटू मेडिकल पर दवाई लेने गया था। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि वह पिण्टू मेडिकल से कितनी देर में दवाई लेकर आया था। उसे उसके भतीजे ने नहीं बताया, कि थानेश्वर कैसे कपडे पहने हुआ था । उसके भतीजे ने उसे शाम को पाँच बजे फोन किया था, क्योंकि वह अकेला ही पीडिता को रूपबास में ढूँढता रहा। उसका भतीजा शाम को करीब चार बजे घर पर आया था। पीडिता की पिंकी से दोस्ती थी, जो कभी-कभी पिंकी के घर जाती थी तथा पिंकी हर दूसरे-तीसरे दिन पीडिता के घर आती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता और पिंकी साथ-साथ पढी थी, जो कितने साल साथ-साथ पढी, उसे जानकारी नहीं है । इस घटना से पहले पीडिता बीमार रहती थी । इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि कितनी बार दवाई लेकर आई तथा कितने साल से बीमार थी । पीडिता को पेट दर्द की शिकायत अक्सर रहा करती थी तथा कभी-कभी सिर में दर्द भी होता था। घटना के समय पीडिता 21 वर्ष की थी। घटना से पहले पीडिता की बचपन में आगरा की तरफ शादी की थी, लडके का नाम ध्यान नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उस लडके से पीडिता का इस घटना से पांच-छः साल पहले स्टाम्प पर तलाक हो गया था, कोर्ट से नहीं हुआ था। पीडिता का तलाक उस लडके से इसलिए कराया, क्योंकि वह शराब पीता था। पीडिता उस लडके के पास कभी नहीं गई थी । तलाक के बाद से इस घटना तक पीडिता की दूसरी शादी नहीं की थी। पीडिता को थानेश्वर अपहरण करके ले गया, इस घटना की जानकारी उसे 13

मार्च को हुई थी। किस नम्बर से उसे फोन किया, उसे याद नहीं। वह पुलिस के साथ गया था, तब पीडिता पूना के पास भोगाँव में थानेश्वर के साथ मिली थी। वह पुलिस के साथ 19 मई को गया था, निश्चित तारीख ध्यान नहीं है। पुलिस ने वहाँ नक्शा मौका बनाया था, किस तारीख को बनाया था, उसे ध्यान नहीं है। नक्शा करीब नौ-दस बजे बनाया था। उसने नक्शा मौका पढा था। पीडिता ने उस समय रंग-बिरंगा सलवार सूट पहना था। कपडे ज्यादा साफ-सुथरे भी नही थे तथा गन्दे भी नहीं थे। उसे नक्शा मौका समझ में नहीं आता है, इसलिए नही बता सकता कि पश्चिम में क्या था। उसे ध्यान नहीं है, कि पीडिता को पुलिस ने सुपुर्दगी में कितनी तारीख को दिया था । जिस समय पुलिस ने उसे पीडिता को सुपुर्दगी में दिया, उस समय उसने कैसे कपडे पहन रखे थे, उसे ध्यान नहीं है। पीडिता ने रास्ते में एक बार कपडे चेन्ज कर लिये थे। पीडिता के पास एक पोलीथीन में कपडे थे, जिनको उसने चेन्ज किया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता की थानेश्वर से दोस्ती हो, जिस वजह से वह अपनी मर्जी से थानेश्वर के साथ गई हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उन्होंने थानेश्वर के परिवार पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा कराया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उन्होंने घर पर सलाह मशविरा करके इस घटना की रिपोर्ट घटना के चार-पाँच दिन बाद दर्ज कराई थी ।

19. साक्षी पी०ड० 04 गजेन्द्र सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 27.05.2020 को थाना रूपबास पर कॉनि० के पद पर तैनात था । उस दिन नरेन्द्र सिंह एसआई ने एमओ द्वारा दिये गये दो शील्डशुदा लिफाफे मार्क 1 व 2 पीडिता के जब्त किये थे, जिनकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी09 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । उसी दिन दो सील्डशुदा लिफाफे आरोपी थानेश्वर के मार्क 1 व 2 जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी10 जब्त किये थे, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 9 व प्रदर्श पी 10 पर कहीं भी मार्क 1 व 2 का इन्द्राज नहीं है। पीडिता का एक नम्बर लिफाफे में ब्लड स्वाव था तथा दो नम्बर लिफाफे में सैल्वा स्वाब था। जो लिफाफे जब्त किए थे, उन पर पीडिता व मुलजिम का नाम व उनके अन्दर जो मौजूद था, उसका अंकन उनके उपर लिखा हुआ था। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ था। पीडिता व मुलजिम दोनों के लिफाफों का रंग पीला था। उन लिफाफों के अन्दर जो

सामग्री रखी थी, वह उसके सामने नहीं रखी गई। पीडिता की फर्द जब्ती 2.00 पीएम तथा मुलजिम की फर्द जब्ती 2.10 पीएम पर बनाई गई। जब्ती के समय उसके अलावा पवन कुमार कॉनि. भी था।

20. पीडिता की माता पी०ड० 05 ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब साढे तीन साल पहले दिन के करीब बारह एक बजे उसकी बेटी दो-तीन दिन से हो रहे पेट दर्द के कारण अपने भाई के साथ दिखाने रूपबास आई, जिसे दिखाकर उसका भाई उसे रूपबास फाटक के पास खडा करके बाजार से दवाई लेने चला गया । फिर थानसिंह आया और उसकी बेटी को कुछ खिलाकर अपने साथ ले गया । दो-तीन दिन बाद थानसिंह ने फोन किया, कि पीडिता उसके कब्जे में है, तुमसे बने, जो कर लेना और उन्हें धमकी दी। थानसिंह ने पीडिता के साथ मारपीट की तथा बलात्कार किया। पीडिता को गए दो महीने हो गए। पीडिता के हाथ थानसिंह का फोन पड गया था, जिससे उसने अपने चाचा को फोन किया। वहाँ पीडिता के चाचा का कोई दोस्त था । वहाँ से पुलिस पीडिता को उस दोस्त के घर ले गई, जहां से पीडिता को पुलिस रूपबास लेकर आई। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पीडिता के पेट में तीन दिन से दर्द लगातार हो रहा हो, बल्कि थोडा-थोडा रूक-रूक कर हो रहा था। उसे ध्यान नहीं है, कि जिस दिन पीडिता रूपबास दवाई लेने गई उस दिन उसके पेट में कैसा दर्द हो रहा था । वह उस दिन खेत पर सुबह नौ-दस बजे गई तथा शाम तीन-चार वापिस घर आ गई। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता उसके सामने दवाई लेने नहीं गई थी, स्वयं कहा कि वह उसके कहने पर दवाई लेने गई थी। पीडिता रूपबास 12-1 बजे पहुँची होगी। वह नहीं बता सकती है, कि पीडिता ने राधारमण के फोन पर किस तारीख को, कितने बजे फोन किया, क्योंकि वह पढी-लिखी नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे राधारमण का फोन नम्बर नहीं पता है। थानसिंह ने उसके मोबाइल पर फोन नहीं किया, किसी परिवारीजन के मोबाइल पर फोन किया होगा, उसे पता नहीं। उसे राधारमण के उस दोस्त का नाम पता नहीं मालूम, जिसके घर पीडिता गई थी। पीडिता को पुलिस कौनसी तारीख को लेकर आई, उसे याद नहीं। उसने पीडिता को आने के बाद पहली बार थाने पर देखा। उसने पीडिता से उस समय कोई बात नहीं की। पीडिता ने घर आकर उससे बात की थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि

उसने पीडिता के शरीर पर चोट के निशान नहीं देखे हों। स्वयं कहा कि उसके हाथ, गर्दन, पीठ आदि जगह चोटें देखी थीं। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस दिन पीडिता आई, उसी दिन उसने सुबह यह बात बताई थी, कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पीडिता ने बलात्कार वाली बात उसके अलावा अन्य किसी को नहीं बताई । स्वयं कहा कि बेटी इस तरह की बात माँ को ही बताएगी । उसे याद नहीं है, कि पुलिस ने उसके बयान लिये या नहीं । पुलिस ने उसके कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे ।

21. साक्षिया पी०ड० 06 नर्वदा ने साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 20.05.2020 को थाना रूपबास पर महिला कॉनि० के पद पर तैनात थी । उस दिन नरेन्द्र सिंह एसआई ने एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली पीडिता जरिये फर्द प्रदर्श पी11 जब्त की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली मुलजिम थानसिंह जरिये फर्द प्रदर्श पी12 जब्त की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है, कि उसने पीडिता की चड्डी को देखा था, जिसका रंग नीला था। उसे ध्यान नहीं है, कि जब्तशुदा चड्डी पर कितने रंग के फूल बने हुए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता से उसकी पहनी हुई चड्डी खुलवाकर जब्त की थी। पीडिता की चड्डी पर धब्बे लगे हुए थे, लेकिन कितनी जगह लगे हुए थे, ध्यान नहीं है। फर्द जब्ती 11.15 पीएम पर बनाई थी। मुलजिम थानेश्वर की चड्डी नीले रंग की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने मुलजिम थानेश्वर की जब्तशुदा चड्डी को अपने हाथ में लेकर नहीं देखा ।

22. चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 07 डॉ० संजय यादव ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 21.05.2020 को सीएचसी, रूपबास पर चिकित्साधिकारी प्रभारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर थानेश्वर का पुरुषत्व सम्बन्धी मेडिकल मुआयना उसके द्वारा किया गया । थानेश्वर सामान्य कद-काठी का था। शरीर पर कोई फेस इन्जरी नहीं थी। एक्सटरनल जननांगों पर कोई भी स्टैन प्रजेण्ट नहीं था व कोई चोट नहीं थी। लिंग की नसें प्रोमीनेन्ट थी। कीमिस्टिक रिफलेक्स प्रजेण्ट थी । थानेश्वर संभोग करने में सक्षम था। थानेश्वर के सैलाइवा व ब्लड के स्वाब लिए जाकर सैम्पल पुलिस को सुपुर्द किए गए, जो एफएसएल रिपोर्ट के लिए भिजवाए गए । थानेश्वर की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसकी राय व सी से डी उसके व ई से एफ मुलजिम थानेश्वर के

हस्ताक्षर हैं। थानेश्वर की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 14 है । उसी दिन पीडिता का पुलिस तहरीर पर बलात्कार सम्बन्धी परीक्षण किया गया । पीडिता सामान्य कद-काठी की थी। हाइमन टोर्न थी। पीडिता के ब्लड व सैलाइवा के सैम्पल लिए गए, जो सील्ड कर पुलिस को सुपुर्द किए गए। अन्तिम राय एफएसएल आने तक रिजर्व रखी गई। पूजा की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसकी राय, सी से डी पीडिता व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पीडिता की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 16 है। बाद एफएसएल प्रदर्श नम्बर 1 चड्डी में सीमन डिटैक्ट हुआ है। बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि थानेश्वर के शरीर पर कोई भी ताजा व पुरानी चोटें नहीं थी तथा थानेश्वर के जननांगों पर भी कोई चोट नहीं थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता के शरीर व जननांगों पर भी कोई ताजा व पुरानी चोट नहीं थी। पीडिता व थानेश्वर का ब्लड व स्वाब नमूने करीब 4 गुणा 6 सेमी लिफाफे में अलग-अलग लिये थे, जिन लिफाफों के रंग उसे याद नहीं है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि पीडिता सैक्स के लिए हैबीचुअल हो। थानेश्वर का सीमन का नमूना उसके द्वारा नहीं लिया गया था। इस बात की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि पीडिता की चड्डी में जो सीमन डिटैक्ट हुआ था, वह थानेश्वर का नहीं हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता की चड्डी में डिटैक्ट हुआ सीमन, थानेश्वर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का भी हो सकता है।

23. साक्षी पी०ड० 08 नरेन्द्र सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनाँक 17.03.2020 को थाना रूपबास पर द्वितीय अधिकारी सब इंसपेक्टर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 152/2020 धारा 366 आईपीसी की पत्रावली आई सी थाना शिवराम एएसआई द्वारा उसके जिम्मे तफ्तीश की गई थी। दौराने अनुसन्धान मुस्तगीस, गवाह पीडिता के पिता व पीडिता की माता के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। आरोपी थानेश्वर के मोबाइल नम्बर 7023061542 की सीडीआर, लोकेशन तथा पीडिता की सरगर्मी से तलाश की गयी। दौराने तलाश दिनांक 19.05.2020 को समय 8.00 एएम कैम्प भोगॉव थाना पुणे, महाराष्ट्र से दस्तायाब की गयी, जिसको गवाह पीडिता के चाचा एवं कानि पवन सिंह के सामने दस्तयाब किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द दस्तयाबी नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 बनाया गया, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ पीडिता तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द

दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ भगवैया पीडिता तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। नोटिस 91/160 सीआरपीसी प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी पीडिता के चाचा, सी से डी पीडिता व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व जी से एच पीडिता की ईबारत है। पीडिता व आरोपी को डिटेन कर थाना पर लाये। फर्द जब्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली पीडिता प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ भगवैया पीडिता व जी से एच उसके हस्ताक्षर तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द जब्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली मुलजिम थानेश्वर प्रदर्श पी 12 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मुलजिम थानेश्वर का मेडिकल मुआयना कराया गया, जो प्रदर्श पी 13 है। पीडिता का मेडिकल प्रदर्श पी 15 है। फर्द जब्ती दो लिफाफे सील्डशुदा एमओ द्वारा पीडिता के पेश किये, जो प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। दो सील्डशुदा लिफाफे एमओ द्वारा मुलजिम के पेश किये, जिनकी फर्द प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। पीडिता के बयान 161 सीआरपीसी की वीडियो रिकार्डिंग तैयार कर सी.डी. बनायी, जो सी.डी. प्रदर्श पी 16 है, जिस पर मुकदमा नम्बर 152/20 अंकित है। पीडिता के बयान 164 सीआरपीसी लेखबद्ध कराये थे, जो प्रदर्श पी 17 हैं। फर्द अस्थायी सुपुर्दगी पीडिता प्रदर्श पी 1 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ पीडिता तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम थानेश्वर प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती एक सी.डी. रिकार्डिंग बयान पीडिता, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ पीडिता तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं । भगवैया पीडिता को उसके द्वारा एक नोटिस दिया गया, कि आप बालिग हो तथा कहाँ जाना चाहती हो, जिसने अपने जबाव में अपने पिता के साथ जाने के लिए कहा । उक्त नोटिस प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी पीडिता, सी से डी पीडिता के पिता, ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं तथा जी से एच पीडिता की ईबारत है। पीडिता के शरीर पर चोट होने बाबत नोटिस दिया गया था, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी पीडिता व जी से एच मेडिकल नहीं कराने बाबत तहरीर है। नकल मालखाना

प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नकल रपट रोजनामाचा आम प्रदर्श पी 21 व प्रदर्श पी 22 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। माल एफ एस एल जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 23 है। पीडिता की कक्षा 8 की मूल अंकतालिका प्रदर्श पी 24 है। मुलजिम थानेश्वर का पूछताछ नोट प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसन्धान से मुलजिम थानेश्वर के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 366, 376 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली एसएचओ दीपक ओझा सीआई, रूपबास को सुपुर्द की, जिन्होंने चार्जशीट किता कर न्यायालय में पेश की। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि मुकदमा नम्बर 152/2020 की अनुसन्धान पत्रावली उसे दिनाक 17.03.2020 को प्राप्त हुयी थी। उसने एफआईआर प्राप्त होते ही अनुसन्धान प्रारम्भ कर दिया था। सबसे पहले उसके द्वारा मुस्तगीस के बयान लेखबद्ध किये गये। उसे ध्यान नहीं है, कि मुस्तगीस के बयान किस तारीख को, कितने बजे लेखबद्ध किये गये थे । उसके द्वारा गवाहान के बयान थाने पर लेखबद्ध किये गये । गवाहान ने जो बताया, वह उसके द्वारा उनके बयानों में लेखबद्ध किया गया। उसने पीडिता की शादी बाबत पूछा था, तो उन्होंने पीडिता की शादी होना नहीं बताया । रूपबास से भोगॉव पुणे की दूरी करीब 700-800 किमी है। वे रूपबास से भोगॉव, पुणे प्राईवेट साधन से गए थे, जो वाहन स्कॉर्पियो था। उक्त स्कार्पियो रूपबास निवासी योगेश पाराशर की थी। उक्त स्कार्पियो के रजिस्ट्रेशन नम्बर उसे ध्यान नहीं है। स्कार्पियो में राधारमण लडकी के परिवार का व्यक्ति, एक कानि पवन कुमार, एक ड्राईवर तथा वह स्वयं था। वह 17.05.2020 को शाम करीब सात-आठ बजे भोगॉव के लिए रवाना हुआ था। वह भोगाँव 18.05.2020 को मध्य रात्रि में पहुँच गया था। उसने पीडिता को दिनांक 19.05.2020 को समय सुबह 8.00 एएम पर दस्तयाब किया था। जिस मकान से पीडिता को दस्तयाब किया, वह मकान किसका था, जो फर्द बरामदगी नक्शा मौका में अंकित है। वह नहीं बता सकता है, कि जिस जगह से पीडिता को दस्तयाब किया, उसके चारों तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में क्या आलामात है। स्वयं कहा तीन मंजिल बिल्डिंग बनी हुई थी, जिसमें किराये के कमरे में रहती थी। उस कमरे में कोई सामान नहीं था, इसलिए वहाँ से वजह सबूत कोई सामान जब्त नहीं किया । फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 6 एक घण्टे बाद 9 बजे बनाया था।

एक घण्टे तक उन्होंने आरोपी की तलाश की। आरोपी को उन्होंने आस-पास तलाश किया था। मुलजिम को उसी बिल्डिग के पास से करीब सवा नौ बजे डिटेन किया था। वे उसे थाने पर लेकर आये। वे भोगाँव से रूपबास के लिये करीब 10-11 बजे रवाना हो गये थे। वे रूपबास 20 तारीख को मध्य रात्रि करीब 11 बजे आ गये थे। पीडिता के जाने की सहमति बाबत दस्तयाबी के बाद नोटिस दिया, वह प्रदर्श पी 8 है। प्रदर्श पी 8 पर दो गवाहान तथा उसके पिता के हस्ताक्षर कराये थे। पीडिता की चड्डी महिला कानि के सामने जब्त की थी, जो किस तारीख व कितने बजे की, उसे ध्यान नहीं है। उस चड्डी का रंग फर्द में अंकित है, मौखिक ध्यान नहीं है। उसने मुलजिम थानेश्वर की चड्डी 21 तारीख को जब्त की थी, समय ध्यान नहीं है। उस चड्डी का रंग ध्यान नहीं है। उक्त चड्डीयाँ पुरानी इस्तेमाली तथा धुली हुयी थीं। मुलजिम थानेश्वर का मेडिकल मुआयना 21 तारीख को कराया गया था, जो कितने बजे कराया, उसे ध्यान नहीं। पीडिता के शरीर पर कोई चोटें नहीं थीं। उसने थानेश्वर का मर्दानगी परीक्षण करवाया था। एमओ से जो लिफाफे जब्त किये, वह खाकी रंग के थे। उन लिफाफों पर सील मौहर अंकित थी, लिफाफों पर सम्बन्धित के नाम अंकित थे। पीडिता के 161 सीआरपीसी के बयानों की वीडियो रिकार्डिंग 20 तारीख को की थी । वह सी.डी. उसने 27 तारीख को जब्त की थी, जिसकी फर्द पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये थे, जिनमें एक गवाह पवन था। उसने उक्त प्रकरण में सही अनुसन्धान किया। मुलजिम थानेश्वर का पूछताछ नोट 21 तारीख को बनाया था, जो कितने बजे बनाया, उसे ध्यान नहीं ।

24. साक्षी पी०ड० 09 राजेश कुमार ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 15.06.2020 को थाना रूपबास पर कॉनि० के पद पर तैनात था । उस दिन मुकदमा संख्या 152/20 में जब्तशुदा सील्डशुदा 6 नमूना सैम्पलों को वह मालखाना इंचार्ज से मय एफएसएल लैटर भरतपुर जमा कराने गया, जिनको एफएसएल में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर एचएम मालखाना को सुपुर्द की, जो रसीद प्रदर्श पी23 है । बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त 6 लिफाफों के साथ उसने कोई छेडछाड नहीं की तथा उसने उनको कहीं लावारिस नहीं छोडा था । उक्त लिफाफों पर मुकदमा नंबर 152/20 अंकित था । उक्त लिफाफों पर मार्क अंकित थे, लेकिन क्या अंकित थे, उसे ध्यान नहीं है । उसे ध्यान नहीं है, कि उन लिफाफों पर

किसी के नाम अंकित थे या नहीं ।

25. साक्षी पी०ड० 10 पवन सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 19.05.20 को थाना रूपबास में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन नरेन्द्र एसआई द्वारा उसके सामने पीडिता को भूगांव, पुणे से मुकदमा नंबर 152/20 में दस्तयाब किया था। उसी दिन पीडिता के कहेअनुसार घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। दिनांक 20.05.20 को वक्त घटना पीडिता द्वारा पहनी चड्डी को नरेन्द्र एसआई द्वारा जप्त किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द दस्तयाबी पीडिता प्रदर्श पी 7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती दो लिफाफे सीलशुदा पीडिता प्रदर्श पी 9 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । फर्द जप्ती दो सीलशुदा लिफाफे मुलजिम थानेश्वर प्रदर्श पी 10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जप्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली पीडिता प्रदर्श पी 11 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । फर्द जप्ती एक चड्डी पुरानी इस्तेमाली मुलजिम थानेश्वर प्रदर्श पी 12 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि वह पीडिता की दस्तयाबी के लिए एसआई साहब के साथ गया था। दिनांक 18.05.20 को गये थे, समय याद नहीं है। जिस प्राईवेट वाहन से गये थे, वो स्कार्पियो थी, किसकी थी, उसे ध्यान नही है। उसे ध्यान नहीं है, कि वाहन को कौन चला रहा था। पुणे सुबह सात-साढे सात बजे पहुंचे थे। घटनास्थल पर दिनांक 19.05.20 को सुबह नौ बजे पहुंचे थे। पीडिता को उन्होंने भूगांव से दस्तयाब किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है उस जगह का नहीं है, जिस जगह से पीडिता को दस्तयाब किया था। पीडिता को जिस जगह से दस्तयाब किया था, वह स्थान से घटना स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 से करीब आठ-दस किलोमीटर दूर है। पीडिता को उन्होंने दिनांक 19.05.20 को सुबह आठ बजे दस्तयाब किया था। मुलजिम थानेश्वर को एसआई साहब ने पुणे से डिटेन किया था। घटनास्थल पर वे करीब पौने नौ के आसपास पहुंचे थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि भगवईया सामान्य स्थिति में हो। स्वयं कहा कि घबराई हुई स्थिति में थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी6 में प्रदर्शित बिल्डिंग चार मंजिल की थी। पीडिता ने रूम नम्बर 304 में रहना और रूम नम्बर 305 में बलात्कार होना बताया था। रूम नम्बर 304 में दरी, बिस्तर, खाने-पीने व रहने लायक सामान था। रूम नम्बर 305 में कोई सामान नही था। इस

सुझाव को स्वीकार किया है, कि वजह सबूत रूम नम्बर 304 व 305 से कोई सामान जप्त नहीं किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पीडिता की अंडरवियर दस्तयाब होने के एक दिन बाद जप्त की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि भगवईया ने उसकी पहनी हुई अंडरवियर नहीं दी, कहीं से लाकर पेश की थी। अंडरवियर धुली हुई थी। मुलजिम की जप्तसुदा अंडरवियर पुरानी व इस्तेमाली थी, जो धुली हुई नही थी, जो मुलजिम ने लाकर दी थी।

26. साक्षी पी०ड० 11 राजवीर सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 21.05.2020 को पुलिस थाना रूपबास पर एचसी के पद पर तैनात था । उस दिन मुकदमा संख्या 152/2020 के आईओ नरेन्द्र सिंह एसआई द्वारा मुकदमा हाजा का माल छः पैकिट जमा मालखाना करवाये गये थे । मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 20 है । मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 20ए है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव जिरह में कथन किया है, कि उसे ध्यान नहीं है, कि आईओ द्वारा माल कब जमा करवाया गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने मालखना रजिस्टर में माल जमा करने के समय का इन्द्राज नहीं किया। उसे नहीं पता है, कि किस पैकिट में क्या सामान था। स्वयं कहा पैकिट सीलशुदा थे। किस पैकिट पर किसका नाम लिखा हुआ था, उसे पैकिट वाईज याद नही है। पैकिटों को एफएसएल में जमा कराने कानि. लेकर गया था, जिसका नाम उसे याद नही है। उसे ध्यान नहीं है, कि उसके पास कानि. ने एफएसएल की रसीद कब जमा करवायी थी।

27. पीडिता पी०ड० 12 ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि दिनांक 12.03.2020 को दोपहर एक बजे वह अपने भाई के साथ रूपबास बंगाली डॉक्टर के पास दिखाने आयी थी। डॉक्टर ने मेडिकल से लाने के लिए दवाई लिखी थी। उसका भाई उसे डॉक्टर की दुकान पर छोडकर चला गया था। डॉक्टर की दुकान पर उसकी दोस्त पिंकी आयी थी, जो उससे कहने लगी कि बाजार से कुछ सामान लेने चलते है। वह पिंकी के साथ बाजार सामान लेने आ गई। पिंकी ने उसे केला खिलाया, जिसे खाने के बाद उसे थोडे-थोडे चक्कर आने लग गये थे। वहीं पर पिंकी का भाई थानेश्वर था। वह बेहोश हो गई थी। उसे आगरा जाकर होश आया था। उसने थानेश्वर से बोला, कि उसे उसके घर जाना है, जिस पर थानेश्वर ने कहा कि एक-दो दिन में उसे घर छोड देगा, जिसके बाद थानेश्वर उसे पूना ले गया। थानेश्वर ने वहाँ पर एक कमरा किराये पर लिया तथा थानेश्वर ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके

साथ बलात्कार किया तथा उसके साथ रोज मारपीट करता था। दो महीने तक थानेश्वर उसके साथ मारपीट करता व उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार करता था। उसने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नही जानने के कारण एवं लॉक डाउन होने से नहीं भाग सकी। उसकी उसके घरवालों से किसी पडौसी के फोन से बातचीत हुई थी। उसे एक मौका वहाँ से जाने का मिल गया, लेकिन थानेश्वर ने पकड लिया। वहाँ पर भी उसके साथ थानेश्वर ने मारपीट की थी। मौके पर पुलिस आ गई थी। उसने पुलिस वालों के फोन से उसके चाचा के दोस्त, जो आरएसएस में थे, पूना में रहते थे, से बातचीत की। उसके चाचा के दोस्त उसे वहाँ लेने आ गये और उसे अपने साथ ले गये। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके भाई ने करवाई थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 6 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द दस्तायाबी प्रदर्श पी 7 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे नोटिस धारा 91/160 सीआर.पी.सी. दिनांक 19.05.2020 दिया था, जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी पुरानी इस्तेमाली चड्डी जप्त की थी, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था, जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके न्यायालय में बयान करवाये थे, जो प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे नोटिस धारा 91/160 सीआरपीसी दिनांक 20.05.2020 दिया था, जो प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चोटों का मेडिकल नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 19 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर तथा जी से एच उसकी असहमति अंकित है। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पुलिस ने नक्शा मौका किस स्थान पर बनाया, उसे ध्यान नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह जिस डॉक्टर पर दिखाने गई थी, उस डॉक्टर का क्लिनिक बीच बाजार में था । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उस समय आसपास की सभी दुकानें खुली हुई थी तथा लोगो की घनी आवाजाही थी। वह पिंकी के साथ डॉक्टर के क्लीनिक से बाजार के लिए करीब बीस कदम दूर गई थी। पिंकी के साथ वह खुद का किराने का सामान लेने गई थी। स्वयं कहा कि वह सामान लेने अपने भाई के साथ जाती है, लेकिन उस दिन पिंकी

उसे सामान लेने बाजार ले गई। पिंकी उसके पास क्लीनिक पर अकेली बाजार की तरफ से आयी थी। वह उसका पेट दर्द दिखाने गई थी। उस समय उसके पेट में बहुत दर्द था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह दर्द के कारण खडे नहीं रह पा रही हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे तेज पेट दर्द के कारण ही उसका भाई डॉक्टर के पास मोटरसाईकिल पर बैठाकर लाया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके सामने पिंकी ने केला खरीदा हो। स्वयं कहा वह क्लीनिक पर आयी, तब उसके बैग में केले पडे हुए थे। कितने केले थे, वह नहीं बता सकती। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने केला खुद छीलकर खाया हो। स्वयं कहा उसे पिंकी ने केला छीलकर खिलाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पिंकी ने केला का छिलका उसके सामने हटाया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसे केला खाने पर केले का स्वाद अजीब व असामान्य नहीं लगा हो। उसने पिंकी से कहा था कि इस केले का स्वाद अलग क्यों है, तब पिंकी ने कहा कि तू सुबह से भूखी है, इसलिए लग रहा होगा। पिंकी ने उससे पूछा था कि वह घर से कुछ खाकर आयी है या नहीं। उसने पिंकी से नहीं कहा कि उसे पेट दर्द के कारण केला नहीं खाना चाहिए। वह केला खाने के करीब बीस मिनट बाद बाजार के पीछे वाली गली में बेहोश हुई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह गली सुनसान थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह अपने होश में उस सुनसान गली तक गई हो। स्वयं कहा कि केला खाते ही उस पर मूर्छा छाने लगी थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि थानेश्वर मौके पर नही आया हो। स्वयं कहा कि उसके बेहोश होने के करीब पाँच मिनट पहले मुलजिम मोटरसाईकिल से आया था, लेकिन मुलजिम उसे आगरा किस साधन से ले गया, उसे ध्यान नहीं है। उसे आगरा पहुंचने के बाद बस के अन्दर ही होश आया था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि बस सवारियों से भरी हो। स्वयं कहा वह स्लीपर बस थी, जिसमें दो-चार लोग होंगें। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने बस में होश आते ही चिल्लाना शुरू नहीं किया, न ही मदद पुकारी। स्वयं कहा कि उस समय उसकी ऐसी हालत नही थी, तब भी उसे बेहोशी छा रही थी। उस समय उसके हाथ-पांव काम नही कर रहे थे, लेकिन दिमाग थोडा काम कर रहा था। वह उस समय ठीक से नहीं बोल पा रही थी। मुलजिम उसे लेकर आगरा में रूका हो, तो वह नहीं बता सकती। उसे ध्यान नहीं है, कि वह

उसी बस से पूना तक गई हो। वह आगरा से पूना जाते समय भी पूरे होश में नही थी, थोडा-थोडा होश था। वह व मुलजिम पूना बस से उतरकर किराये की टैक्सी कार से बस स्टैण्ड से करीब एक घण्टे की दूरी पर किसी मकान में गये थे, जहाँ मुलजिम ने एक अटैच लैटबाथ वाला कमरा किराये पर लिया था। वहाँ वह मुलजिम के साथ दो महीने रही थी। मुलजिम क्या काम धंधा करता था, उसे मालूम नही है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम रोज सुबह नौकरी के समय पर घर से जाता था और शाम को लौट आता था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दैनिक जरूरतों का सामान, साग-सब्जी व किराना मुलजिम ही लाता था। वह खाना बनाना व कपडे धोने का काम खुद करती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पूना वाले मकान के चारो तरफ कई मकान थे, जिनमें लोग रहते थे। उनके मकान में अन्य किरायेदार भी रहते थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने पूना में किसी पास-पडौसी से कभी कोई मदद नही मांगी, न ही मुलजिम की किसी पडौसी से शिकायत की। स्वयं कहा कि मुलजिम जाता था, तब बाहर से कमरे की कुंदी लगा जाता था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने मुलजिम के जाने के बाद कभी उस कमरे का दरवाजा जोर से नहीं पीटा हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने रोज दरवाजा नही पीटा, उसे जब बाहर चहलकदमी सुनाई देती थी, तब जोर से दरवाजा पीटती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे दरवाजा पीटने पर भी कभी किसी पडौसी की मदद नहीं मिली। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि कमरा किराये पर लेते समय उसने मुलजिम के साथ अपनी आईडी मकान मालिक को दी हो। वह थानेश्वर को पिंकी का भाई होने होने के कारण आठवीं कक्षा से जानती व पहचानती है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसका पिंकी के घर आना-जाना हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसकी थानेश्वर से इस घटना से पहले से लगातार बातचीत होती रहती हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि थानेश्वर के शाम को काम से लौटने के बाद दरवाजा खोलने पर वह कभी मदद के लिए नही पुकारी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसके जाने से लेकर आने तक उसके शरीर पर कहीं कोई चोट, रगड या खरोंच नहीं आयी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस घटना के दौरान उसका पहना हुआ कोई वस्त्र कभी नहीं फटा। वह नहीं बता सकती है, कि इस मामलें में थाने पर किसने रिपोर्ट पेश की। इस

सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस मामले में उससे पूछकर रिपोर्ट पेश नहीं की। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह अपनी मर्जी से मुलजिम के साथ गई हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने पिंकी को क्लीनिक पर बुलाया हो। स्वयं कहा कि पिंकी ने ही उसे डॉक्टर की क्लीनिक पर बैठे हुए देख लिया था। उसे नहीं मालूम मुलजिम क्या काम धंधा करता है। घटना के समय पिंकी रूपबास में ट्यूशन पढती थी, जो किस कक्षा में पढती थी, उसे मालूम नही है। वह नहीं बता सकती है, कि आगरा से पूना जाते समय बस में अलग-अलग शहरों से सवारियों चढी या उतरी हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसे ठीक से पूना में बस से उतरने के बाद होश आया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वे पूना में बस स्टैण्ड पर उतरे थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि बस बस स्टैण्ड पर पुलिस चौकी व सैकडो यात्रियों की आवाजाही हर समय लगी रहती है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने पूना बस स्टैण्ड पर उतरकर भी किसी पुलिस वाले या मौजूद यात्री से किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मांगी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने उस टैक्सी ड्राईवर से भी मदद नही मांगी, जिससे वे बस से उतरकर कमरे पर पहुंचे थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि घटना के समय उसके पास मोबाईल हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि थानेश्वर के पास उसका मोबाईल रहता था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने मुलजिम के मोबाईल से कभी घरवालों या परिचित को फोन करने की कोशिश नहीं की। स्वयं कहा कि उसे मुलजिम के मोबाईल का पासवर्ड मालूम नही था। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम थानेश्वर को देखकर सही पहचाना। रंगीन छायाचित्र प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 12 देखकर कहा कि ये फोटो उसके व मुलजिम के है। उसे नहीं पता, कि मुलजिम ने ये फोटो कहाँ खींचे थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इन फोटो में उसके द्वारा पहने हुए कपडे अच्छे दिख रहे है।

28. सर्वप्रथम मामले में प्रस्तुत की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि मामले में घटना दिनांक 12.03.2020 की रही है, जिस रिपोर्ट में पीडिता के अल्पवयस्क होने बाबत कोई अंकन नही रहा है। घटना से करीब दो-ढाई माह बाद पीडिता की फर्द दस्तायाबी प्रदर्श पी 7 एवं अस्थाई सुपर्दगी प्रदर्श पी 1 बनाई गई है, जिनमें उसकी आयु 21 वर्ष होना अंकित किया है।

इसी प्रकार मामले में पीडिता को दिये गये नोटिस अंतर्गत धारा 91/160 दं.प्र.सं. के उत्तर में स्वयं पीडिता ने भी वक्त घटना उसकी उम्र 21 वर्ष होना अंकित किया है, जिसने उसके बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी 17 में न्यायालय के समक्ष अपनी आयु 21 वर्ष होना कहा है। उक्त पीडिता के न्यायालय में सशपथ रूप से परिक्षित किये जाने पर भी उसका वक्त घटना बालिग होना प्रकट हुआ है। पीडिता के पिता पी.ड. 1, पीडिता के भाई पी.ड. 2 तथा पीडिता के चाचा पी.ड. 3 ने उनकी जिरह में एक स्वर में स्वीकार किया है कि पीडिता वक्त घटना 21 वर्षीय होकर, पूर्ण रूप से बालिग थी, जिसकी पहले शादी भी हो चुकी थी, परन्तु पीडिता का अपने पहले पति से तलाक हो चुका है, जिससे वक्त घटना पीडिता पूर्ण वयस्क एवं अपना भला-बुरा सोचने व समझने में समर्थ होना प्रकट हुई है।

29. अब मामले में पीडिता के भाई पी.ड. 02 द्वारा पुलिस थाना रूपबास पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 के अवलोकन से प्रकट हुआ है, कि जब वह पीडिता को बंगाली डॉक्टर के क्लीनिक पर छोडकर दवाई लेने बाजार चला गया, तो पीछे से उसकी बहन को प्रियंका व अभियुक्त थानेश्वर अगवा करके ले गये, जिसके वापिस क्लीनिक आने पर पीडिता व उक्त व्यक्ति वहॉ नही मिले, जिसके विपरीत उक्त रिपोर्टकर्ता पी.ड. 2 ने मुख्य परीक्षण में अपने क्लीनिक से दवाई लेने बाजार जाने से पूर्व प्रियंका व अभियुक्त थानेश्वर का क्लीनिक पर आना तथा प्रियंका का उससे दवाई लेकर आने के लिए कहना भी बताया है । इस सम्बन्ध में पीडिता ने उसके बयान धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श पी 17 में यह कथन किया है कि उसे पिंकी क्लीनिक से बाजार ले गई, जिसके साथ अभियुक्त थानेश्वर भी था। पीडिता ने उक्त बयान प्रदर्श पी 17 में यह नही कहा है, कि क्लिनिक पर पिंकी व अभियुक्त, रिपोर्टकर्ता के सामने अर्थात उसके दवा लेने जाने से पूर्व ही आ गये हो, जबकि स्वयं पीडिता पी.ड. 12 ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जब डॉक्टर ने मेडिकल से लाने के लिए उसकी दवाईयां लिखी थी, तब उसका भाई पी.ड. 02 उसे क्लीनिक पर छोडकर चला गया था, तब क्लीनिक पर उसकी दोस्त पिंकी ने आकर उसे बाजार चलकर सामान लाने के लिए कहा, जिस पर वह पिंकी के साथ बाजार सामान लेने आ गई। पीडिता ने उसके सम्पूर्ण मुख्य परीक्षण में तत्समय क्लीनिक पर उसकी दोस्त पिंकी के साथ अभियुक्त थानेश्वर का आना नही कहा है तथा प्रतिपरीक्षण

में बताया है कि अभियुक्त उसके बेहोश होने से 5 मिनट पहले ही आया था, जबकि पीडिता ने उसके बयान प्रदर्श पी 17 में तत्समय पिंकी के साथ थानेश्वर का आना भी अंकित करवाया है, जो कथन परस्पर संदेहास्पद स्थिति को जन्म देते है। इस प्रकार मामले में रिपोर्टकर्ता पी.ड. 02 के समक्ष बंगाली डॉक्टर के क्लीनिक पर पिंकी व थानेश्वर का पहुंच जाना विश्वसनीय नहीं रहा जाता है। पीडिता के भाई पी.ड. 02 ने उसकी साक्ष्य में एक ओर यह कथन किया है, कि जब मेडिकल स्टोर से वापिस आने पर उसे उसकी बहन क्लीनिक पर नही मिली, तो उसने 2-4 घण्टे तक आस-पास ढूंढा था, लेकिन दूसरी ओर अस्वाभाविक कथन किया है, कि जब वह दवाई लेकर आया तथा उसे क्लीनिक पर पीडिता, अभियुक्त व पिंकी नही मिले, तो उसने बंगाली डॉक्टर से कुछ नही पूछा था, जबकि उक्त रिपोर्टकर्ता द्वारा क्लीनिक से पीडिता के नदारद मिलने की स्थिति में सर्वप्रथम उसी क्लीनिक के डॉक्टर से पूछताछ एवं मालूमात किया जाना आवश्यक एवं स्वाभाविक रहा था।

30. पीडिता के बयान प्रदर्श पी 17 में वर्णित कथानक से प्रकट हुआ है, कि पीडिता को पिंकी ने केला खिलाया, जिसे खाकर वह बेहोश गई तथा उसे आगरा जाकर ही होश आया था। इस सम्बन्ध में पीडिता पी.ड. 12 ने उसकी जिरह में यह स्वीकार किया है, कि पिंकी ने उसे उसके सामने केले का छिलका उतारकर केला खिलाया था, जिससे पीडिता का उक्त केला खाकर बेहोश हो जाना विश्वसनीय जाहिर नही आता है, क्योंकि पीडिता के सामने केला छीलकर खिलाये जाने की स्थिति में, उस केले में किसी प्रकार की बेहोशी की दवा मिलाया जाना संभव प्रकट नही होता है। स्वयं पीडिता पी.ड. 12 व रिपोटकर्ता ने उनकी साक्ष्य में दोपहर के समय बंगाली डॉक्टर के क्लीनिक पर जाना एवं क्लीनिक का बीच बाजार मे होना स्वीकार किया है, जिन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया है, कि उस समय बाजार में सभी दुकाने खुली हुई थी और लोगों की निरन्तर व घनी आवाजाही हो रही थी। वह पिंकी के साथ डॉक्टर के क्लीनिक से बाजार के लिए करीब बीस कदम दूर ही गई थी, कि पिंकी ने उसे उसके सामने केला छीलकर खिलाया था। पीडिता ने उक्त केला खाते ही स्वयं का बेहोश होना तथा आगरा में होश आना बताया है, परन्तु सरे बाजार पीडिता का भीड के बीच में बेहोश हो जाना और वहॉ से उसे बेहोशी की हालत में अगवा कर आगरा ले जाया जाना विश्वसनीय प्रकट नही हुआ है। इसके अतिरिक्त पीडिता ने उसकी

प्रतिपरीक्षा में विरोधाभासी रूप से यह भी बताया है, कि वह केला खाने के करीब 20 मिनट बाद बाजार की पीछे वाली सुनसान गली में बेहोश हुई थी, जिस दशा में पीडिता यह भी स्पष्ट कर पाने मे असमर्थ रही है, कि जब उसे केला खाने के पश्चात इतनी देर तक होश रहा था, तो वह इस दौरान चैतन्य अवस्था में बाजार की पीछे वाली सुनसान वाली गली में क्यों व किस प्रकार पहुंची। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है, कि पी.ड. 12 को तेज पेट दर्द से पीडित होने के कारण डॉक्टर को दिखाने के लिए लाना बताया गया है, जिस स्थिति में पीडिता का अभियुक्त की बहन पिंकी के साथ बाजार में किराने का सामान लेने जाना स्वाभाविक प्रकट नही हुआ है। पीडिता ने यह भी कथन किया है, कि वह किराने के सामान अपने भाई के साथ जाकर खरीदती है। पीडिता के लिए घटना के दिन भी उसके भाई पी.ड. 02 के दवाई लेकर वापिस आने के बाद घर वापिस जाते समय रास्ते से किराने का सामान खरीदना संभव रहा था। सम्पूर्ण विचारण के दौरान पीडिता अथवा उसके किसी भी परिजन उस बंगाली डॉक्टर या क्लीनिक का नाम भी स्पष्ट नही किया है, जिस डॉक्टर के पास अथवा क्लीनिक पर पीडिता को उपचार के लिए ले जाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सम्पूर्ण विचारण के दौरान उक्त बंगाली डॉक्टर द्वारा लिखी गई ईलाज पर्ची एवं रिपोर्टकर्ता पी.ड. 02 द्वारा उक्त ईलाज पर्ची के आधार पर खरीदी गई दवा का बिल भी प्रस्तुत कर प्रदर्शांकित नही करवाया गया है, न ही अभिलेख पर किसी पडौसी दुकानदार की साक्ष्य भी उपलब्ध रही है कि तत्समय पीडिता केा बेहोशी की अवस्था में कहीं ले जाया गया हो ।

31. यद्यपि पीडिता ने उसकी साक्ष्य में यह कहने का प्रयास किया है, कि उसे आगरा पहुंचने के बाद ही बस के अन्दर होश आया था, जिसने यह भी कथन किया है, कि होश आने के पश्चात् उसका दिमाग थोडा कम काम कर रहा था, वह ठीक से बोल नही पा रही थी तथा उसके हाथ-पांव ठीक से काम नही कर रहे थे, जिससे उसने बस के अंदर होश में आते ही चिल्लाना व मदद पुकारना शुरू नही किया, परन्तु पीडिता ने यह कथन किया है, कि वह स्लीपर बस थी, जिसमें 2-4 अन्य लोग भी मौजूद थे तथा उसे आगरा में होश आया था, जिन कथनो से यही प्रकट होता है कि पीडिता तत्समय अपने चारों ओर का माहौल, स्थान व परिस्थितियों को सोचने व समझने में समर्थ रही थी। पीडिता ने आगे यह भी कथन किया है, कि वह आगरा से उसी बस में बैठकर पूना तक गई थी, तब तक उसे पूरा होश नही

था, वह थोडे-थोडे होश में थी, परन्तु पीडिता ने उसकी जिरह में आगे यह महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है, कि उसे पूना में बस से उतरने के बाद पूरा होश आ गया था। पीडिता पी.ड. 12 ने पूना में बस से उतरकर उसका व अभियुक्त का टैक्सी कार में बस स्टैण्ड से करीब एक घण्टे की दूरी पर किसी मकान में जाना बताया है, जहॉ अभियुक्त ने उनके रहने के लिए अटैच लैटबाथ वाला कमरा किराये पर लिया था, जिसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि पूना बस स्टेण्ड पर पुलिस चौकी थी, जहॉ सैकडों यात्रियों की आवाजाही थी, परन्तु उसने पूना बस स्टैण्ड पर उतरकर किसी पुलिस वाले, मौजूद यात्री व टैक्सी ड्राईवर से कोई मदद नही मांगी, ना ही कोई शिकायत की, जिन कथनो से अभियुक्त द्वारा पीडिता को जबरन अगवा कर अथवा बेहोशी की हालत में ले जाया जाना विश्वसनीय प्रकट नही हुआ है।

32. इसके अतिरिक्त यहॉ यह भी उल्लेखनीय है, कि पीडिता ने अभियुक्त के साथ पूना में अटैच लैटबाथ वाले कमरे में किराये से करीब दो माह तक रहना बताया है, जिसने यह स्वीकार किया है कि पूना में अभियुक्त रोज सुबह नौकरी के समय घर से जाता था और शाम को लौट आता था। यह भी स्वीकार किया है कि साग-सब्जी, किराना व दैनिक जरूरतों का सामान अभियुक्त लाता था, जबकि कपडे धोने व खाना बनाने का काम वह स्वयं करती थी। पीडिता की उक्त स्वीकारोक्ति से उसका उक्त अवधि में अभियुक्त के साथ अपनी ईच्छा से राजीखुशी ही रहना प्रकट हुआ है। पीडिता ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है, कि उनके पूना वाले किरायेशुदा मकान में अन्य कई किरायेदार रहते थे तथा उस मकान के चारो तरफ भी अन्य कई मकान थे, जिनमें लोगों की रिहायश थी, परन्तु स्वयं पीडिता ने ही आगे स्वीकार किया है, कि उसने पूना में कभी किसी पास-पडौसी से कोई मदद नही मांगी, न ही किसी पडौसी से कोई शिकायत की। पीडिता ने उसकी प्रतिपरीक्षा में एक ओर यह कथन किया है, कि अभियुक्त घर से बाहर जाते समय कमरे की बाहर से कुंदी लगाकर जाता था, जिससे वह किसी से मदद नही मांग सकी। इसी प्रकार पीडिता ने यह भी कथन किया है, कि जब भी उसे उसके कमरे के बाहर चहलकदमी सुनाई देती थी, तो वह जोर से दरवाजा पीटती थी, परन्तु उसे कभी किसी पडौसी की कोई मदद नही मिली। वहीं दूसरी ओर पीडिता ने उसकी प्रतिपरीक्षा में ही विरोधाभासी रूप से इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि अभियुक्त के शाम को काम

से लौटने के बाद कमरे का दरवाजा खोलने पर उसने कभी मदद नही पुकारी। स्वयं पी.ड. 12 ने मुख्य परीक्षण में एक बार पडौसी से फोन लेकर अपने घरवालों से बातचीत करना तथा कई बार भागने की कोशिश करना कहा है, परन्तु रास्तो से अनजान होने व लॉकडाउन के कारण न भाग पाना कथन किया है, जो अभियुक्त द्वारा उसे कमरे में दरवाजे की कुंदी लगाकर बंद करने या डरा-धमकाकर जबरन अपने साथ रखे जाने के तथ्य को अविश्वसनीय ठहराता है। पीडिता द्वारा स्वीकार किये गये यह सुझाव भी महत्वपूर्ण रहे है, कि उसके जाने से लेकर वापिस आने तक उसके शरीर पर कही चोट, रगड नही आयी तथा इस घटना के दौरान उसका पहना हुआ कोई वस्त्र नही फटा। चिकित्सा अधिकारी पी.ड. 7 डॉ. संजय ने भी वक्त मुआयना पीडिता व अभियुक्त, दोनो के ही शरीर पर कोई ताजा व पुरानी चोट होने से इन्कार किया है, जिस तथ्य की पुष्टि अभियुक्त व पीडिता की मैडीकल मुआयना रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी 13 व प्रदर्श पी 15 से होती है। इस स्थिति में पीडिता की माता पी.ड. 5 की साक्ष्य असत्य प्रकट हुई है, जिसने इस सुझाव को गलत होना बताया है, कि उसने पीडिता के शरीर पर कोई चोट नही देखी हो, बल्कि पीडिता के हाथ, गर्दन, पीठ आदि अंगों पर चोटें होने व उसके द्वारा देखे जाने का कथन किया है। पीडिता ने अभियुक्त का किसी भी अवसर पर स्वयं द्वारा बलात् प्रतिरोध करने बाबत कोई कथन नही किया गया है, न ही पीडिता द्वारा पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के बाद भी किसी अवसर पर किसी व्यक्ति से कोई मदद ही पुकारी गई है, जिस दशा में पीडिता के साथ किसी समय व स्थान पर जोर-जबरदस्ती, शारिरिक सम्बन्ध कायम किये जाने की संभावना अत्यन्त क्षीण रही है।

33. मामले में पीडिता के चाचा पी.ड. 3 ने उसकी प्रतिपरीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से बताया है, कि पीडिता को पुलिस द्वारा दस्तयाब करके रूपबास लाते समय रास्ते में पीडिता ने एक बार कपडे चेंज किये थे, जिसने पीडिता के पास एक पॉलीथीन की थैली में कपडे होना कथन किया है, जिससे यह प्रकट हुआ है कि पीडिता स्वयं अभियुक्त थानेश्वर के साथ कपडे लेकर घर से निकली है, क्योंकि पीडिता ने अभियुक्त को पिंकी का भाई होने के कारण आठवीं कक्षा से जानना व पहचानना कहा है। यद्यपि पीडिता ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि उसकी घटना के पहले से ही अभियुक्त से लगातार बातचीत होती रहती हो, परन्तु स्वयं पीडिता के पिता पी.ड.

1 ने उनकी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त उसके मोबाईल पर फोन करके पीडिता से बात करता था, जो पीडिता से घटना से करीब 1 वर्ष पहले से ही बातचीत कर रहा था। पीडिता पी.ड. 12 ने महत्वपूर्ण रूप से रंगीन छायाचित्र प्रदर्श डी 1 लगायत प्रदर्श डी 12 को देखकर उक्त फोटोग्राफ्स उसके व अभियुक्त के होना स्वीकार किया है, जिन फोटाग्राफ्स में पीडिता व अभियुक्त एक-दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक व राजीखुशी होना नजर आये है, जो सभी तथ्य अभियोजन कथानक को प्रबल संदेह के घेरे में ला खडा करते है।

34. अभियेाजन पक्ष द्वारा प्रकरण में पीडिता के पिता पी.ड. 01, पीडिता की माॅ पी.ड. 05 को भी परिक्षित करवाया गया है, परन्तु उक्त दोनो ही गवाहान के कथनो से यह प्रकट नही हुआ है कि उन्होंने किसी समय अभियुक्त द्वारा पीडिता को किसी स्थान से ले जाते हुए, अथवा उन्हें साथ रहते हुए देखा हो, जिन गवाहान की साक्ष्य आरोपित अपराध के क्रम में अधिक सहायक प्रकट नही हुई है। विशेषकर उस स्थिति में जब स्वयं रिपोर्टकर्ता पी.ड. 02 ने यह स्वीकार किया है कि पीडिता को अभियुक्त के साथ जाते हुए किसी ने नही देखा है। पीडिता के पिता पी.ड. 1 ने भी अपनी साक्ष्य में विरोधाभासी कथन किये है, पीडिता के पिता ने एक ओर अभियुक्त द्वारा अगले दिन ही फोन करके पीडिता का स्वयं के पास होना बता दिया जाना कहा है, वहीं दूसरी ओर यह साक्ष्य दी है, कि वे घटना के दो दिन बाद पीडिता केा ढूंढने के लिए रूपबास, धौलपुर, सरैंदी व आगरा आदि स्थानों पर गये थे। जब पीडिता के सम्बन्ध में घटना के अगले दिन ही अभियुक्त द्वारा जानकारी दी जा चुकी थी, तब उस स्थिति में पीडिता को उसके परिजनों द्वारा दिशाहीन होकर अनेक स्थानों पर ढूंढना स्वाभाविक प्रकट नही हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वयं पीडिता के सभी परिजनों की यह साक्ष्य रही है, कि वे अभियुक्त का फोन आने के बाद उसके घर जाकर उसके माता-पिता से मिले थे, जिन्होंने जल्दी ही पीडिता केा उन्हें सुपुर्द करने का आश्वासन दिया था, परन्तु उन्होंने आश्वासन के बाद भी पीडिता को सुपुर्द नही किया, जिससे भी पीडिता के परिजनों द्वारा घटना के दो दिन बाद पीडिता को उक्त स्थानों पर ढूंढा जाना विश्वसनीय प्रकट नही हुआ है।

35. पीडिता के चाचा पी.ड. 03 ने भी सुनी-सुनाई साक्ष्य दी है तथा पुलिस के साथ स्वयं का पूना के पास भोगांव में पीडिता को दस्तयाब करने जाना बताया है, जिस गवाह ने तत्समय पीडिता का अभियुक्त के साथ पाया जाना कहा है, जबकि अनुसंधान अधिकारी

पी.ड. 08 नरेद्रसिंह ने कथन किया है, कि उन्होंने पीडिता की दस्तयाबी के पश्चात् करीब एक घण्टे तक आरोपी की तलाश की थी, जो उन्हें बाद में उसी बिल्डिंग के पास डिटेन हुआ था। फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 7 के अन्य साक्षी पी.ड. 10 पवनसिंह ने अभियुक्त को पूना से डिटेन करना कथन किया है, जिससे दस्तयाबी के समय अभियुक्त का पीडिता के साथ होना भी प्रकट नही हुआ है। यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है, कि साक्षी पी.ड. 10 पवन ने उसकी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 उस स्थान का नही है, जिस स्थान से पीडिता को दस्तायाब किया गया था, बल्कि उक्त साक्षी ने पीडिता का दस्तयाबी स्थल, उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 में बताये गये स्थान से 8-10 किलोमीटर दूर होना बताया है। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 08 नरेन्द्र सिंह की साक्ष्य एवं फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 7 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है, कि पीडिता को दिनांक 19.05.2020 को प्रातः आठ बजे भोगांव, पूना महाराष्ट्र से दस्तयाब किया गया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 08 ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि पीडिता को तीन मंजिला बिल्डिंग से दस्तयाब किया था, जो मकान किसका था, यह तथ्य फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 में अंकित होना एवं उक्त नक्शा मौका फर्द दस्तयाबी के करीब एक घण्टे पश्चात बनाया जाना कहा है, जिस दशा में अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 08 के मुताबिक नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 पीडिता के दस्तयाबी स्थल से सम्बन्धित रहा है, जबकि साक्षी पी.ड 10 ने उक्त नक्शा मौका में दर्शित स्थान से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर स्थान से पीडिता केा दस्तयाब करना बताया है।

36. दौराने अनुसंधान पीडिता की वक्त घटना पहनी हुई चड्डी जरिये प्रदर्श पी 11 व अभियुक्त की पहनी हुई चड्डी जरिये प्रदर्श पी 12 बतौर वजह सबूत जप्त किया जाना प्रकट हुआ है, परन्तु उक्त दोनो फर्दात घटना से करीब सवा तीन माह पश्चात बनाया जाना प्रकट हुआ है, जिनके सम्बन्ध में उक्त फर्दात के सम्पोषक साक्षी पी.ड. 10 पवन एवं अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 08 ने यह स्वीकार किया है, कि जप्तशुदा चड्डियां पुरानी, इस्तेमाली तथा धुली हुई थी। साक्षी पी.ड. 10 ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है, कि पीडिता की अण्डरवियर उसके दस्तयाब होने के एक दिन बाद जप्त की थी, जिसने अपनी पहनी हुई अण्डरवियर नही दी थी, कहीं से लाकर धुली हुई अण्डरवियर पेश की थी। इसके अतिरिक्त उक्त फर्दात की

अन्य संपुष्टिकारी साक्षिया पी.ड. 06 नर्वदा ने विरोधाभासी साक्ष्य दी है, कि पीडिता से उसकी पहनी हुई चड्डी ही खुलवाकर जप्त की थी, जिससे उक्त फर्दात विश्वसनीयता प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। वहीं पीडिता पी.ड. 12 ने महत्वपूर्ण रूप से उनके महाराष्ट्र रहने के दौरान अपना खाना बनाने एवं स्वयं द्वारा कपडे धोने की साक्ष्य दी है, जिससे उक्त पीडिता की जप्तशुदा चड्डी पर घटना के आलामात पाये जाने की संभावना क्षीण हो जाती है। मामले में महत्वपूर्ण रूप से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त जांच नतीजा प्रदर्श पी 14 व प्रदर्श पी 16 भी अनिश्चायक रहे है, जिनके सम्बन्ध में स्वयं चिकित्सा अधिकारी पी.ड. 07 डॉ. संजय ने यह कथन किया है, कि इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है कि पीडिता की चड्डी में पाया गया सीमन अभियुक्त थानेश्वर का नही हो, जिसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि सीमन अभियुक्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है, जिससे उक्त वैज्ञानिक नतीजा भी अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में किसी प्रकार से सहायक नहीं रहा है।

37. उपर्युक्त विश्लेषणानुसार मामले में साक्षी पी.ड. 04 गजेन्द्र, पी.ड. 09 राजेश कुमार तथा पी.ड. 11 राजवीरसिंह की साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की प्रकट हुई है।

38. मामले में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 में ही रिपोर्टकर्ता ने अभियुक्त द्वारा घटना के पश्चात् से उन्हें रोज फोन करना एवं पीडिता का स्वयं के कब्जे में होने बाबत् सूचित करना अंकित किया गया है, जिस पर उनके द्वारा अभियुक्त के माता-पिता से बात करने पर पीडिता को शीघ्र वापिस लाने का आश्वासन भी मिलना बताया है, जिन तथ्यों की पुष्टि में रिपोर्टकर्ता पी.ड. 02 ने सशपथ रूप से कथन किया है, कि दूसरे दिन ही उसे अभियुक्त ने फोन किया कि तेरी बहन उसके पास है, अगर एफआईआर करवाई, तो तुझे व तेरे घरवालों को मार देगा। रिपोर्टकर्ता ने अभियुक्त द्वारा उसके पिता पी.ड. 1 को फोन करना कहा है, जिसने आगे बयान दिया है, कि इसके बाद उन्होंने अभियुक्त के घरवालों को बताया और पंचायत भी बुलवाई। इन्हीं कथनो की पुष्टि पीडिता के पिता पी.ड. 01, पीडिता के चाचा पी.ड. 03 तथा पीडिता की माँ पी.ड. 05 ने भी की है, जिससे दिनांक 12.03.2020 के अगले दिन दिनांक 13.03.2020 को ही परिवादी पक्ष को पीडिता का अभियुक्त के पास होने बाबत् जानकारी हो जाना प्रकट हुआ है। सशपथ रूप से भी पीडिता पी.ड. 12 ने

अपनी मुख्य परीक्षा में पडौसी के मोबाईल से अपने घर पर फोन करना कहा है, जिसके बावजूद पीडिता के भाई पी.ड. 02 द्वारा हस्तगत मामले की संबंधित थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 दिनांक 17.04.2020 को अर्थात घटना के 5 दिन पश्चात् प्रस्तुत किया जाना प्रकट हुआ है, जिस विलम्ब का अभिलेख पर कोई युक्तियुक्त एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नही किया जा सका है। वहीं पीडिता के पिता पी.ड. 01 ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है, कि उसे अभियुक्त का पीडिता से उनके फोन पर बात करना कतई अच्छा नही लगता था। इसी प्रकार पीडिता के भाई पी.ड. 02 एवं चाचा पी.ड. 03 ने उनकी प्रतिपरीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है, कि उन्होंने यह रिपोर्ट पूरे घरवालों एवं गांव वालों से सलाह-मशवरा करने के बाद 5-7 दिन की देरी से दर्ज करवाई थी, जिन महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा की गई उक्त स्वीकारोक्ति से अभियोजन कथानक प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ है।

39. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि किसी भी आपराधिक विचारण में साक्ष्य का कठोर निर्वचन का सिद्धान्त लागू होता है। आपराधिक विचारण में अभियोजन पक्ष का यह परम दायित्व है, कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी लोप अथवा उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त ही प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करन में विफल रहा है, कि अभियुक्त ने दिनांक 12.03.2020 को किसी समय मौजा रूपबास में जब फरियादी अपनी बहिन को बंगाली डॉक्टर से दिखाकर दवाई लेने बाजार गया, तब अभियुक्त ने फरियादी की बहिन, जो उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में थी, को उसकी सहमति के बिना बहला-फुसलाकर ले जाकर, उसे विवाह के लिये विवश, भ्रष्ट कर व्यपहृत, अपहृत कर, उसकी ईच्छा व सहमति के विरूद्ध जबरन अयुक्त संभोग कर बलात्संग किया। अतः उपरोक्त विवेचन से यह बिन्दु अभियोजन पक्ष, अभियुक्त थानेश्वर के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 02

40. चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या एक को अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के

विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त दामोदर को धारा 366, 376 भादंसं के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

आदेश

41. अतः अभियुक्त थानेश्वर पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 22 वर्ष, निवासी-मालौनी कला थाना रूपबास, जिला भरतपुर को आरोपित अपराध धारा 376 भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के प्रत्येक पेशी पर उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

42. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत पर्चेजात चड्डियां पीडिता व अभियुक्त व सीडी बयान बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नष्ट किये जावे ।

43. अभिलेख पर उपलब्ध पीडिता एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त, मामले में पीडित पक्ष को उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार पीडित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(प्रशांत शर्मा)

44. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रशांत शर्मा)